इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अप्रैल 2014—वैशाख 4, शक 1936

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2014

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस (1).—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रवेश नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 7 में,—

(एक) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) (क) केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से अर्जित अवकाश अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की सहमति दी है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत तक स्थानों को केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) के चरणों के पूर्ण होने के पश्चात् भरने की अनुमति दी जायेगी;

(ख) सक्षम प्राधिकारी, परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान पहले सामान्य प्रवेश परीक्षा के रैंक के आधार पर योग्यता क्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/ राज्य शासन द्वारा यथा अधिसूचित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम तथा प्रक्रिया के अनुसार स्थान आवंटन की कार्यवाही की जायेंगी.

(ग) यदि संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के विकल्प का एक बार प्रयोग कर लिया जाता है और यदि संबंधित संस्था इन सीटों पर प्रवेश नहीं दे पाई हो अथवा इनमें से कुछ सीटों पर ही प्रवेश दे पाई हो, तथा सीटें रिक्त रह जाती है तो संस्थागत प्राथमिकता कोटे की इन रिक्त सीटों को संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के दौरान रिक्त रखा जायेगा. इस प्रवर्ग के अन्तर्गत प्रवेशिक अभ्यर्थी को संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अपनी संस्था परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा;

(दो) उप नियम (12) में, खण्ड (ज) तथा (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ज) सामान्य प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार पर प्रथम दौर के आवंटन के पश्चात्, वे अभ्यर्थी जो संस्था/ब्रांच उन्नयन का अवसर (सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित केवल पाठ्यक्रम विशेष के लिये लागू होगा) लेना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित रीति में निर्धारित तिथि के भीतर उन्नयन का विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें भी अपने आप उन्नयन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा. उन्नयन होने की दशा में अभ्यर्थी उन्नयित आवंटित संस्था/ब्रांच में प्रवेश की कार्यवाही करेगा, अन्यथा पूर्व आवंटित संस्था/ब्रांच में प्रवेश की कार्यवाही करेगा. उन्नयन का विकल्प केवल प्रथम दौर के परामर्श (काउंसिलिंग) में ही उपलब्ध रहेगा तथा अन्य परामर्श (काउंसिलिंग), जिसमें अर्हकारी परीक्षा के आधार पर होने वाले परामर्श (काउंसिलिंग) भी सम्मिलित है, उपलब्ध नहीं होगा. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जो आवंटित स्थान/ब्रांच में परिवर्तन के इच्छुक हैं वे अपना प्रवेश सम्यक् रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अंतिम तिथि के पूर्व में रद्द करवाकर परामर्श (काउंसिलिंग) के अगले दौर में, यदि कोई हो, सम्मिलित हो सकेंगे. ऐसे अभ्यर्थी भी जिन्हें पूर्व में कोई स्थान आवंटित नहीं हुए हैं अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो विहित समय सीमा के भीतर आवंटित संस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाये हैं, इस परामर्श (काउंसिलिंग) के दौर में सम्मिलित हो सकेंगे;

(झ) यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार पर आयोजित पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं, तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थी की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) प्रवेश परीक्षा रैंक के आधार पर/ अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें पृथक्-पृथक् अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जावेगा. अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसिलिंग) में उपलब्ध सभी स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा.

(झ-क) परामर्श (काउंसिलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात्, यदि स्थान रिक्त रहते हैं, तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, महाविद्यालय स्तर पर भरे जायेंगे, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुये हों, महाविद्यालय स्तर के परामर्श (काउंसिलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिये निर्धारित तिथियां, रिक्तियों की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी. संबंधित महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, इस परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा परामर्श (काउंसिलिंग) प्राधिकारी की वेबसाईट पर परामर्श (काउंसिलिंग) की तिथि पर ही करना सर्वथा अनिवार्य है. अभ्यर्थी द्वारा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश प्राप्त किया जाता है अथवा संस्था द्वारा गलत/अपात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश दिये जाने पर ऐसे प्रवेश निरस्त किये जावेंगे तथा अनुबंध में इंगित किए गए अनुसार संस्था पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी.";

(2) नियम(8) के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) इस चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिये यथास्थिति सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम के आधार पर अथवा अर्हकारी परीक्षा के आधार पर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) के एक अथवा दो चरण आयोजित किए जाएंगे. यदि इन चरणों के बाद भी स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो शेष स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित महाविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा भरे जायेंगे. अर्हकारी परीक्षा में अंकों के आधार पर प्रवेश के लिये यह प्रावधान एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिये लागू नहीं होगा.".

No. F-14-17-2007-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by the Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Admission Rules, 2008, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,–

(1) In rule 7,—

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) (a) Only those institutions, which have given consent to give 10 percent concession in tuition fee to all the admitted Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates of graduation, diploma and post diploma courses from the additional income earned through institutional preference seats, shall be permitted to fill up 10 percent seats of sanctioned intake per course, after completion of the centralised counselling rounds;

(b) The Competent Authority, during the course of counselling, shall proceed to allot the seats, first in the order of merit on the basis of ranking in the common entrance test and thereafter, if seats remains vacant, on the basis of merit of the marks in the qualifying examination and on fulfilling the eligibility criteria as notified by the AICTE/State Government and as per the Schedule and procedure as notified by the Competent Authority;

(c) Once option for the institutional preference seats has been exercised and if the concerned institution is not able to make admissions on these seats or makes part admissions on these seats, and if the seats remains vacant, then these vacant seats of institutional preference quota shall be kept vacant for entire duration of course. Candidates admitted under this category shall have no right to change their institution for entire duration of course.";

(ii) in sub-rule (12), for clause (h) and (i) the following clauses shall be substituted, namely:—

"(h) After first round of allotment on the basis of rank obtained in common entrance test, candidate willing to take the chance for upgradation of institution/branch (applicable only for the particular courses as declared by the Competent Authority) shall have to submit their option online for upgradation within the stipulated date in the manner declared by the Competent Authority. Candidates who have not been the allotted any institution in this round shall also be considered automatically for upgradation. In case of getting up gradation, candidate shall have to proceed for admission to the upgraded allotted institution/branches otherwise he/she shall act to take admission in the previously allotted institution/branch. Option for upgradation shall be available only in the first round of counselling and in no other round of counselling including in the counselling to be held on the basis of qualifying examination. Those candidates, who have been already admitted, if they wish to change their allotted institution/ branch they may appear in the next round, if any, of counselling after getting their admission duly cancelled before the last date as declared by the competent authority, Candidates who were not allotted any seat previously or the candidates, who were unable to report in the allotted institution within the prescribed time limit, may also appear in this round of counselling.

(i) If the seats remains vacant after the first round of counselling held on the basis of rank of common entrance test then the decision for holding of second round of counselling either separately on the basis of marks obtained in the entrance test and/or simultaneously with the counselling on the basis of marks obtained on the qualifying examination shall be taken by the Competent Authority keeping in view the number of vacant seats for a particular course and estimated

number of candidates willing for admission. In the counselling of qualifying examination all the available seats shall be presumed to be under unreserved seats and the allotment shall be made accordingly on the basis of a joint merit list of candidates of all categories.

(i-a) If, after aforesaid round of counselling seats still remains vacant, they shall be filled at college level in accordance with the procedure notified by the Competent Authority in which candidates who have appeared in the entrance test shall be given preference. For college level counselling, the information regarding dates, vacancies for each colleges shall available on Competent Authority's website. It shall be mandatory for respective college to enter information about the admitted candidate through this counselling on the website of counselling authority strictly on the date of counselling. Hiding relevant facts obtained by the candidate or admission given to the wrong/disqualified candidates by the institution, such admission shall be cancelled and punitive action will be taken against the institution as mentioned in the agreement.".

(2) in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) After the counselling of this phase, there shall be one or two rounds of centralized counselling on the basis of merit of common entrance test or on the basis of qualifying examination depending upon the type of course, as the case may be. If seats remain vacant even after this round, then remaining seats shall be filled by the respective college authorities, according to the procedure notified by the competent authority. The provisions of admission on the bassis of marks in qualifying examination are not applicable for MBBS and BDS course.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.